



2026:AHC:3679

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 19756 वर्ष 2025

कृष्णा कुमार सिंह, कांस्टेबल, पीएनओ नंबर
860920483

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : दिनेश कुमार सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सिंह और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राज कुमार सिंह के तर्कों को सुना गया ।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राज कुमार सिंह ने यह तर्क दिया है कि उन्हें निर्देशों की पूरी जानकारी है और वे मामले की पैरवी करने में सक्षम हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे कोई हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहते और याचिका का फैसला अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
- पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है।
- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह एक पुलिस कांस्टेबल है, जिसकी नियुक्ति 01.11.1986 को हुई थी और वरिष्ठता सूची में उसका क्रमांक 48 है। हालांकि, मुकदमा अपराध संख्या 40/2004 अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 392 और 411 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7/13 के तहत के कारण याचिकाकर्ता का मामला सीलबंद रखा गया और उसे दिनांक 24.04.2025 के आदेश द्वारा बरी कर दिया गया। याचिकाकर्ता हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति की मांग करता है। वह यह भी निवेदन करता है कि दिनांक 28.05.1997 के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सरकारी आदेश के मद्देनजर, यदि बरी करने के आदेश के विरुद्ध अपील लंबित भी है, तो वह पदोन्नति के पहलुओं को नकारने का आधार नहीं होगी।

5. इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता को हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति प्रदान करने की प्रार्थना की गई है।

4. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के दावे को प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रथम दृष्ट्या निर्णय की आवश्यकता है।

5. न्यायालय में प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रति प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष प्रस्तुत करे, जिस पर प्रतिवादी तीन माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा और आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से कानून के तहत स्वीकार्य लाभ प्रदान करते समय सीलबंद लिफाफा खोला जाएगा।

7 जनवरी, 2026

एन. एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)